

**न्यायालय—श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला,
जिला बैतूल, (म.प्र.)**

एम.जी.सी. क्रमांक :- 08/16
संस्थापन दिनांक :- 01/09/16
फायलिंग नं. 4005252016

जयाबाई पति बिरवल, उम्र 65 वर्ष
हाल निवासी भाई हरिदास खातरकर के यहां,
गोविंद कॉलोनी, आमला तहसील आमला
जिला—बैतूल (म.प्र.)

.....आवेदिका

वि रु द्ध

बिरवल पिता नन्दलाल सातनकर, उम्र 75 वर्ष
निवासी ग्राम आमढाना सोमलापुर,
तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... अनावेदक

—: (आ दे श) :—

(आज दिनांक—20.12.2016 को घोषित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका जयाबाई का विवाह अनावेदक बीरवल से 40 वर्ष पूर्व हुआ था। आवेदिका को दामपत्य जीवन से कोई संतान नहीं हुई थी। तब अनावेदक ने बिना आवेदिका की सहमति से ओझा नामक महिला से दूसरा विवाह कर लिया था, जिससे उसे दो संतान हुई। आवेदिका वृद्धावस्था में है तथा अनावेदक की दूसरी पत्नी आवेदिका से खेत व घर का कामकाज कराती है। इसके पूर्व आवेदिका के द्वारा मुलताई न्यायालय में घरेलू हिंसा का आवेदन किया गया था तब अनावेदक ने 3000 रु. भरण पोषण देने के आधार पर राजीनामा करवा लिया था। परंतु इसके बाद अनावेदक ने और उसकी पत्नी ने आवेदिका को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। अनावेदक को रेल्वे से लगभग प्रतिमाह 12000 रु. पेंशन प्राप्त होती है तथा उसके पास लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि भी है। चूंकि आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है। अतः उसे 8000 रु. भरण पोषण राशि दिलाई जाए।
3. प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध दिनांक 06.10.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
4. आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है:—
अ. क्या आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है ?

- ब. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं ?
- स. क्या आवेदिका अपना स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है ?
- द. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
- इ. क्या अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है ?
- फ. क्या आवेदिका भरण पोषण पाने के पात्र हैं ? यदि हाँ तो किस मासिक दर से और किस दिनांक से ?

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक—अ :—

5. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "अ" के संबंध में जयाबाई (अ.सा.—1) ने यह प्रकट किया है कि उसका विवाह अनावेदक बीरबल के साथ लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था। परंतु उसकी कोई संतान ना होने के कारण अनावेदक के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।

—: विचारणीय बिन्दु क्रमांक—ब :—

6. विचारणीय बिन्दु क्रमांक "ब" के संबंध में जयाबाई (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया कि अनावेदक के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करते समय लगभग 10 वर्षों तक उसकी कोई संतान नहीं हुई, तब अनावेदक के द्वारा उसको बिना बताए एक अन्य महिला को घर पर लाकर यह कहा गया कि यह तेरी संगतन है। आवेदिका जयाबाई (अ.सा.—1) ने आगे यह भी प्रकट किया कि उसके द्वारा ओझा नामक अन्य महिला को अपनी छोटी बहन की तरह घर में रख लिया गया तथा उससे दो संतानें अनावेदक की हुई। अनावेदक तथा संगतन ओझा उसके साथ मारपीट करती है और उससे घरेलू कामकाज कराती है तथा उनके द्वारा बांझ कहकर ताना मारा जाता है। आवेदिका ने यह भी प्रकट किया कि अब वह वृद्ध हो चुकी है अब वह घर का और खेत का काम नहीं कर पाती है इसलिए उसकी संगतन ओझा तथा अनावेदक ने घर से निकाल दिया है तथा वर्तमान में वह अपने भाई के यहां होशंगाबाद में रह रही है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं।

—: विचारणीय बिन्दु कमांक—स :—

7. विचारणीय बिन्दु कमांक “स” के संबंध में जयाबाई (अ.सा.—1) यह प्रकट किया है कि उसे अनावेदक एवं उसकी संगतन औझा के द्वारा घर से निकाल दिया है। लगभग वह 3 वर्षों से अनावेदक से पृथक रह रही है। अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक उसकी कोई खोज खबर नहीं ली गई तथा वर्तमान में वह अपने भाई के साथ होशंगाबाद में निवासरत है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है।

—: विचारणीय बिन्दु कमांक—द :—

8. विचारणीय बिन्दु कमांक “द” के संबंध में आवेदिका जयाबाई (अ.सा.—1) का कहना है कि अनावेदक रेल्वे में नौकरी करता है तथा उसे प्रतिमाह लगभग 12000 रु0 पेंशन प्राप्त होती है तथा अनावेदक के पास 7 एकड़ कृषि भूमि भी है, जिससे की सालाना 3—4 लाख रु. का गल्ला हो जाता है। परंतु आवेदिका द्वारा अनावेदक की प्रतिमाह 12000 रु. पेंशन से मासिक आय होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ना ही अनावेदक के नाम पर अचल संपत्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर अनावेदक को 12,000/— रुपये की पेंशन से मासिक आय होने का निष्कर्ष निकाला जाना उचित नहीं होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्याय दृष्टांत दुर्गा सिंह वि. प्रेमबाई 1990 सी.आर.एल.जे. 2065 में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति योग्य शरीर वाला है और कमाने की स्थिति में है तो उसे भरण पोषण के मामले में पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति माना जाता है। कोई व्यक्ति यह कहकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक लगभग 75 वर्षीय व्यक्ति है, परंतु उसके गंभीर शारीरिक अयोग्यता, विकलांग होने अथवा अन्यथा अस्वस्थ, होने के संबंध में अभिलेख पर कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए यह उपधारणा की जा सकती है कि अनावेदक शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर की मजदूरी अर्जित करता है एवं आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है।

—: विचारणीय बिन्दु कमांक—इ :—

9. विचारणीय बिन्दु कमांक “इ” के संबंध में जयाबाई (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन कथनों में यह प्रकट किया है कि जब से वह अपने भाई के यहां रह रही है तब से अनावेदक उसे कभी लिवाने नहीं आया और न ही उसे ले जाने हेतु कोई प्रयास किया है। प्रकरण में अनावेदक के अनुपस्थित रहने से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त

साक्ष्य अखण्डित रही है जिस पर अविश्वास किये जाने के कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है।

—: विचारणीय बिन्दु कमांक-फ :-

10. उपरोक्तानुसार साक्ष्य की विवेचना से यह प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं। आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है एवं उसके द्वारा आवेदिका का भरण पोषण करने में उपेक्षा की गई है। अतः न्यायालय के मत में आवेदिका भरण पोषण पाने की पात्र हैं। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत हस्तगत आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश किया जाता है :-

क. हस्तगत आवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से अनावेदक, आवेदिका को भरण पोषण हेतु रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण पोषण की राशि अदा करेंगे।

ख. उक्त भरण पोषण की राशि प्रतिमाह की पांचवीं तारीख तक अदा की जावेगी।

11. इस आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)